

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 जून 2012—आषाढ 2, शक 1934

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 जून 2012

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2012.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2012-912, दिनांक 21 जून 2012 के अनुक्रम में एवं जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपति ने उक्त धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) एवं (छः) के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:—

1. धारा 25 (1) (तीन) के अंतर्गत कृषि/शोध शिक्षा से जुड़े दो प्रख्यात व्यक्ति:—

1. प्रो. साकेत कुशवाह,
एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स विभाग,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी (उ. प्र.)
2. प्रो. ऋषिपाल सिंह,
एग्रोनॉमी विभाग,
जी. बी. पंत एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय,
पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर (उत्तरांचल),

2. धारा 25 (1) (छः) के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र में शोध/शिक्षा का अनुभव वाला एक प्रख्यात पशुपालन वैज्ञानिक:—

1. डॉ. हरपाल सिंह संधू,
डीन, कॉलेज ऑफ वेटेनरी साइंस,
गुरु अंगद देव वेटेनरी एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
लुधियाना.

कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.